मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय

भोपाल दिनांक 19/11/12

//आदेश//

क्रमांक 10662/एमजीएनआरईजीएस/तक./एनआर–3/12 बड़वानी जिले में मनरेगा के कार्यों के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में मूल्यांकन संबंधी अनियमिततायें पाये जाने के फलस्वरुप वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के प्रत्येक पंचायत में मनरेगा अंतर्गत किये गये रू. 3.00 लाख से अधिक लागत के प्रत्येक निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन की जांच कराये जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों के जांच दल गठित किये जाते हैं। दल में सम्मिलित अधिकारी, प्रथम चरण में दिनांक 25.11.2012 से 15.12.2012 तक जिले के चार विकास खंड क्रमशः बडवानी, पाटी, निवाली एवं पानसेमल में भ्रमण कर उन्हें सौंपे गये दायित्व के अनुसार जांच कार्य पूर्ण करेंगे।

क.	अधिकारी का नाम	पद	प्रभार का विख.
1	श्री पी.के.निगम अधी.यंत्री भोपाल	समन्वयक	बडवानी
2	श्री व्ही.के श्रीवास्तव, अधी.यंत्री मुख्यालय, भोपाल		पाटी
3	श्री हरिसिंह झणिया, अधी.यंत्री ग्वालियर		निवाली
4	श्री एम.एल. डावर, संकाय सदस्य, इटीसी, राऊ, इन्दौर (अधीक्षण यंत्री ग्रायांसे)		पानसेमल
5	श्री ए.के.चौकसे, कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे बड़वानी	नोडल अधिकारी	जिला बडवानी
6	श्री संतोष सिंह बरकुड, अनु.अधि. बडवानी	सहा.नोडल अधिकारी	बडवानी, पाटी
7	श्री के.सी. भालसे, अनु.अधि. ठीकरी		निवाली, पानसेमल

जांचदल कमांक 1 (विकास खण्ड – पाटी)

कुल ग्राम पंचायत – 45

जांच अधिकारी	श्री ए.के.संतोषी कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे रतलाम
उप–दल क्र. 1	
अनुविभागीय अधि./सहा. यंत्री	श्री अरूण जैन, एसडीओ उज्जैन
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री फान्सिस, ग्रायांसे भोपाल 2. श्री आर. के. जैन, ग्रायांसे भोपाल
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री बी.के. पाण्डे, ग्रायांसे सीहोर 2. श्री विजय कुमार चौधरी, ग्रायांसे गुना
उप–दल क्र. 2	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री महेश शर्मा एसडीओ नीमच
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री कैलाश चंद्र दायमा ग्रायांसे सीहोर 2. श्री टी.यू. कुरैशी, ग्रायांसे उज्जैन
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री अरूण कुमार भरद्वाज, ग्रायांसे गुना 2. श्री आर.के. सेमिल, ग्रायांसे, अशोकनगर

उप–दल क्र. 3	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री गजेन्द्र लारिया एसडीओ ग्रायांसे हटा
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री सतीश पाण्डे, ग्रायांसे राजगढ़ 2. श्री व्ही. के. सर्राफ, ग्रायांसे खडंवा
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री विनोद बिहारी खरे, ग्रायांसे विदिशा 2. श्री सुनील कुमार कोडापे, ग्रायांसे होशंगाबाद
उप–दल क्र. 4	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री पवन वैरागी एसडीओ आगर – 1
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री जे. के. दुबे, इंदौर 2. श्री नरेन्द्र वर्मा, ग्रायांसे इन्दौर
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री गोपाल विश्वकर्मा, ग्रायांसे, होशंगाबाद 2. श्री टी.एल. साहू, ग्रायांसे होशंगाबाद
उप–दल क्र. 5	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री जगदीश दुबे एसडीओ रतलाम
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री पवन जैन इंदौर 2. श्री राधेश्याम लश्करी, ग्रायांसे अलीराजपुर
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री आर.एस. खरे, ग्रायांसे, बैतूल 2. श्री प्रमेश कुमार मिश्रा, ग्रायांसे, बैतूल

जांचदल कमांक 2 (विकास खण्ड – बडवानी)

कुल ग्राम पंचायत – 52

जांच अधिकारी	श्री दिनेश फरक्या कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे मन्दसौर
उप–दल क्र. 1	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री संजय शर्मा एसडीओ देवास
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री राजकुमार चौहान, धार 2. श्री एस.डी. नाईक, ग्रायांसे खण्डवा
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री बी.एल. पोरवाल, ग्रायांसे बैतूल 2. श्री बसंत कुमार धुर्वे, ग्रायांसे बैतूल
उप–दल क्र. 2	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री मंयक तिवारी एसडीओ कुक्षी – 1
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री डी. के. कैथवास, ग्रायांसे खंडवा 2. श्री मसूद अहमद सिद्धीकी, ग्रायांसे सीहोर
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री व्ही.वी. त्रिपाठी, ग्रायांसे, ग्वालियर 2. श्री एस.के. शर्मा, ग्रायांसे, ग्वालियर
उप–दल क्र. 3	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री शरद कुमार तंतुबाय एसडीओ ग्रायांसे समनापुर डिण्डोरी
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री अनिल गुप्ता, ग्रायांसे खरगौन 2. श्री एस. के. सन्दुके, ग्रायांसे खरगौन
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री अशोक रघुवंशी, ग्रायांसे, गुना 2. श्री महेन्द्र सिंह बौद्ध, ग्रायांसे गुना

उप–दल क्र. 4	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री डी. एस. दांगी सहायक यंत्री मनरेगा भोपाल
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री आर.डी. वामने, ग्रायांसे बालाघाट 2. श्री आर. एस. ठाकुर, ग्रायांसे बालाघाट
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री नरेन्द्र नीखरा, ग्रायांसे, अशोनगर 2. श्री सूरजपाल माहौर, ग्रायांसे, अशोकनगर
उप–दल क्र. 5	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री राजेन्द्र कुमार गंगराडे, ग्रायांसे शामगढ
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री जी. के. शर्मा, ग्रायांसे राजगढ़ 2. श्री योगेश उपाध्याय, ग्रायांसे डिण्डोरी
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री आशुतोष वर्मा, ग्रायांसे दतिया 2. श्री एन.के. गुप्ता, ग्रायांसे मुरैना
उप–दल क्र. 6	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री उमेश साहू ग्रायांसे सागर
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री श्यामबाबू वर्मा, ग्रायांसे शिवपुरी 2. श्री हरेन्द्र सिंह यादव, ग्रायांसे शिवपुरी
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री अशोक कुमार त्यागी, ग्रायांसे मुरैना 2. श्री एस.के. सोनी, ग्रायांसे, मुरैना

जांचदल कमांक 3 (विकास खण्ड – निवाली)

कुल ग्राम पंचायत – 42

जांच अधिकारी	श्री दीपक काटेकर कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे हरदा
उप–दल क्र. 1	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री रेवती रमन कालभौरे, ग्रायांसे हरदा
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री बी. के. चौरे, ग्रायांसे खण्डवा 2. श्री एस. एंल. बोवाडे, ग्रायांसे रायसेन
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री महेश दत्त शर्मा, ग्रायांसे, मुरैना 2. श्री डी.सी. दीक्षित, ग्रायांसे, मुरैना
उप–दल क्र. 2	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री भावेश अग्रवाल एसडीओ गुना
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री खुलेश कुमार युवने, ग्रायांसे रायसेन 2. श्री अशोक तिवारी, ग्रायांसे विदिशा
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री रतीराम सुमन, ग्रायांसे, भिण्ड 2. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर, ग्रायांसे, भिण्ड
उप–दल क्र. 3	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री युवराज सिंह झारिया एसडीओ घोड़ा डोंगरी
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री दिलीप कुमार गुप्ता, ग्रायांसे शिवपुरी 2. श्री रूप किशोर श्रीवास्तव, ग्रायांसे शिवपुरी
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री जगन्नाथ चौधरी, ग्रायांसे अलीराजपुर 2. श्री के.सी. रत्नावत, ग्रायांसे अलीराजपुर

उप–दल क्र. 4	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री आर. एस. देसवाली अनु. अधिकारी खालवा खण्डवा
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री राजेश ठाकुर, ग्रायांसे अलीराजपुर 2. श्री जे.सी. चतुर्वेदी, ग्रायांसे रतलाम
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री डी.के. जैन, ग्रायांसे झाबुआ 2. श्री जयेश गुप्ता, ग्रायांसे, झाबुआ

जांचदल कमांक 4 (विकास खण्ड – पानसेमल)

कुल ग्राम पंचायत – 39

जांच अधिकारी	श्री सज्जन सिंह चौहान कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे खरगोन
उप–दल क्र. 1	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री प्रकाश पंडित एसडीओ ब्यावरा
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री सतीश चन्द्र जैन, ग्रायांसे विदिशा 2. श्री ए.के. पंथी, ग्रायांसे रायसेन
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री राजेश पवैया, ग्रायांसे धार 2. श्री जे.एस. वर्मा, ग्रायांसे धार
उप–दल क्र. 2	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री सोहन गरेवाल एसडीओ इंदौर
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री विजय सिंह ठाकुर, राजगढ़ 2. श्री खेम सिंह मरावी, ग्रायांसे बैतूल
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री एल.एस. जादौन, ग्रायांसे धार 2. श्री के.सी. जौहर, ग्रायांसे मनावर (धार)
उप–दल क्र. 3	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री एस. के. मजूमदार सहायक यंत्री करकेली
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री एस. के. यादव, ग्रायांसे सिवनी 2. श्री जी. पी. सोनी, ग्रायांसे सिवनी
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री जी.एस. ठाकुर, ग्रायांसे मनावर (धार) 2. श्री एल.एन. गोथवाल, ग्रायांसे मनावर (धार)
उप–दल क्र. 4	
अनुविभागीय अधि./ सहा. यंत्री	श्री ढाल सिंह चौधरी एसडीओ केवलारी
उपयंत्री दल क्र. 1	1. श्री ए. के. अमूले, ग्रायांसे सिवनी 2. श्री व्ही. के. कौशिक, ग्रायांसे बालाघाट
उपयंत्री दल क्र. 2	1. श्री नरेश कुमार ठाकुर, ग्रायांसे खरगौन 2. श्री बी.सी. जोशी, ग्रायांसे खरगौन

2. मनरेगा के कार्यो के मूल्यांकनो की जांच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतो एवं जांच दलों के अधिकारियों को निम्नानुसार दायित्व सौंपे जाते हैं :–

2.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के दायित्वः–

2.1.1 अभियान समन्वयक अधिकारी के आने के 2 दिवस पूर्व **तीन वर्षो के कार्यों की प्रमाणित सूची**, **संबंधित माप पुस्तिकाये** एवं **संबंधित नस्ती,** की उपलब्धता संबंधित जनपदों में करावेंगे जिससे जांच दल को रिकार्ड मिलने में कठिनाई न हो।

2.1.2 विकासखण्ड अंतर्गत समस्त पंचायतों के मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के कार्यो की प्रमाणित सूची तैयार कर अभियान समन्वयक अधिकारी को सौंपेगे एवं **जांच का कलेण्डर तैयार** करावेंगे।

2.1.3 प्रस्तावित जांच अवधि वर्ष 2010–11 से 2012–13 में ग्राम पंचायत के प्रभारी सहायक यंत्री, उपयंत्री, सचिव, सरपंच का विवरण अभियान समन्वयक को उपलब्ध करावेंगे।

2.1.4 सुनिश्चित करेंगे कि कार्य से संबंधित उपयंत्री एवं सचिव ग्राम पंचायत जांच दल के साथ रहे एवं उन्हें आवश्यक सहयोग करें।

2.1.5 अभियान समन्वयक/जांचदल द्वारा चाहे जाने पर कोरी माप पुस्तिकाये, मेजरिंग टेप, रस्सी तथा अन्य उपकरण उपलब्ध करावेगें साथ ही फोटो कॉपी इत्यादि की व्यवस्था हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित करेंगे। इस हेतु आवश्यकता पड़ने पर नरेगा के प्रशासनिक मद से व्यय करेंगे।

2.1.6 जांच दलों के ठहरने एवं आवागमन हेतु वाहन इत्यादि की व्यवस्था हेतु संबंधित जनपदों को निर्देश देकर सुनिश्चित करेगें कि जांच कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई जांच दल को न हो। इस हेतु जनपद पंचायत के वाहनों का उपयोग भी किया जावे।

2.1.7 जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से यह निर्देश सुनिश्चित करावें कि जांच दल के निरीक्षण के समय संबंधित उपयंत्री, सरपंच/पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक/मेट कार्यस्थल पर उपस्थित रहें। संबंधितों की अनुपस्थिति की स्थिति में पंचायत अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत संबंधितों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जावे।

2.2 समन्वयक के दायित्व :–

2.2.1 समन्वयक निरीक्षण दल के कार्यपालन यंत्री तथा सहायक यंत्री के साथ बैठक करके अभियान संचालन के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम बनावेंगे।

2.2.2 समन्वयक का यह दायित्व होगा कि कार्यों के प्रकार का अनुमान लगाकर निरीक्षण दलों हेतु फार्मेट तैयार करेंगे ताकि मूल्यांकन, कार्यों की गुणवत्ता एवं विभिन्न अनियमितताएं पाई जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

2.2.3 समन्वयक इस अभियान के दौरान बडवानी/उन्हें आवंटित विकास खण्ड में आवश्यतानुसार केम्प करेंगे तथा कम से कम 5 प्रतिशत कार्यों का स्वयं भी निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन देंगे।

2.2.4 उनका यह भी दायित्व होगा कि वे ग्राम पंचायत से संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री, सरपंच एवं सचिव का विवरण भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से प्राप्त करेंगे।

2.2.5 कार्य सुविधा की दृष्टि से, अभियान में संलग्न सहायक यंत्रियों/उपयंत्रियों की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से समन्वय कर जिले के उपयंत्रियों को दल में शामिल कर सकेंगे एवं दूरभाष पर मुख्य अभियंता को सूचित करेंगे।

2.2.6 समन्वयक, जांच दलों द्वारा पंचायत व मनरेगा के कार्यो की जांच का बिन्दुवार प्रतिवेदन, निष्कर्षो सहित चरण समाप्ति के 05 दिवस में मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा प्रस्तुत करेंगे।

2.2.7 जांच के निष्कर्षों के आधार पर शासन को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र इत्यादि प्रस्तुत करेंगे।

2.3 **जांच अधिकारी के दायित्व :–**

2.3.1 जांच अधिकारी उन्हें आवंटित विकास खण्ड में सप्ताह में कम से कम 3 दिवस उपस्थित रहकर अपने उप–दलों के साथ कार्यो का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकनों की जांच करेंगे। सप्ताह के शेष दिनो में वे अपने मुख्यालय में रहकर कार्य करेंगे।

2.3.2 जांच अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने उप–दलों के साथ बैठक कर अभियान समन्वयक द्वारा निर्देशित प्रपत्रों पर चर्चा करेगें तथा कोई कठिनाई हो तो अभियान समन्वयक से निर्देश प्राप्त करेगें।

2.3.3 उप–दलों का कार्यक्षेत्रवार निरीक्षणों की प्लानिंग करेंगें, ताकि संबंधित कार्य निष्पादक उपयंत्री की उपस्थिति में कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं कार्यो के मूल्यांकन का सत्यापन संभव हो सके तथा संबंधित उपयंत्री निष्पादित कार्य के संबंध में स्थल पर विवरण दे सकें। उल्लेखनीय है कि निष्पादित कार्य को यथासंभव कार्य की एमबी/जांचदल की एमबी में हस्त सृजित चित्रों से स्पष्ट किया जाएगा। जांच कार्य हेतु प्रदाय की गई माप पुस्तिका में माप चढायेगे तथा कार्य की माप पुस्तिका से मिलान करेंगे। माप पुस्तिका की व्यवस्था बावत् समन्वयक अधीक्षण यंत्री से चर्चा कर जिला पंचायत बड़वानी अथवा स्वयं के कार्यालय से करेंगे।

2.3.4 उपजांच दलों में शामिल सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों को जांच हेतु पंचायत का आवंटन करेंगे। जांच कार्य हेतु बनाई गई दो उपयंत्रियों की टीम तथा सहायक यंत्री उन्हें पर्यवेक्षित कर प्रत्येक कार्य के माप दायित्व अनुसार चेक करेंगे।

2.3.5 निरीक्षित कार्यों में से कम से कम 25 प्रतिशत कार्यो के माप एवं मूल्यांकन निरन्तर भ्रमण कर चैक करेंगे एवं शतप्रतिशत कार्यों का भौतिक सत्यापन करेंगे।

2.3.6 उपजांच दल के प्रमुख जो कार्यपालन यंत्री है, वे प्रत्येक कार्य की भौतिक जांच कर 50 प्रतिशत मापों का सत्यापन भी करेंगे।

2.3.7 यह सुनिश्चित करेंगे की जांच दल शासन की मंशा एवं नियम अनुसार जांच करे।

2.3.8 उपदल द्वारा प्रस्तुत किए गए जांच प्रतिवेदन पर निष्कर्ष एवं दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व निर्धारित करेंगे।

2.4 जांच अभियान में लगाये जा रहे अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों के दायित्व :–

2.4.1 सहायक यंत्री एवं उपयंत्री जांच कार्य पूर्ण होने तक उन्हें आवंटित विकास खण्ड मुख्यालय पर ही केम्प करेगें।

2.4.2 जांच उप–दल के अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री एवं दोनों उपयंत्री संयुक्त रूप से उन्हें आवंटित क्षेत्र की पंचायतों के वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 में मनरेगा अंतर्गत किये रू. 3.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों की नक्शे के आधार पर समीक्षा कर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं कार्य से संबंधित उपयंत्री से चर्चा कर, प्रतिदिन का केलेण्डर तैयार करेगें कि किस–किस पंचायत का कौन–कौन सा कार्य किस दिन निरीक्षित किया जाना है। संबंधित कार्यों की माप पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख संबंधित उपयंत्री, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत से कस्टडी में लेगें एवं आवश्यकता होने पर उसकी पावती देकर जांच हेतु अपने साथ रख सकेगें।

2.4.3 पूर्ण प्रयास करेगें कि कार्य निष्पादन से संबंधित उपयंत्री एवं सचिव/सरपंच की उपस्थिति में ही स्थल जांच हो एवं निष्पादित पाए गए कार्य के समस्त माप अलग से जारी की गई नवीन माप पुस्तिका में अंकित करेंगे तथा कार्य की मूल माप पुस्तिका से मिलान करेंगे। नवीन माप पुस्तिका पर दर्ज किये गये मापों पर संबंधित उपयंत्री से भी हस्ताक्षर करावेंगें।

2.4.4 निष्पक्षता से जांच संपन्न की जाकर अपना प्रतिवेदन सिर्फ जांच अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे एवं प्रतिवेदन की गोपनीयता सुनिश्चित करेंगे।

2.5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के दायित्व

2.5.1 जांच में शामिल दलों को पूर्ण सहयोग करेंगे तथा उनके द्वारा चाहे अनुसार अभिलेख उपलब्ध करावेंगे।

2.5.2 जांच दल को निरीक्षण के समय कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित उपयंत्री, ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। विकास खण्ड मुख्यालय पर जांच दल के रूकने हेतु शासकीय व्यय पर पूर्ण व्यवस्था करेगें एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच दल को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

2.5.3 पूर्ण समय भौतिक रूप से अथवा दूरभाष पर जांच दल के सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री को उपलब्ध रहेगें।

3. जांच अभियान के प्रथम चरण दिनांक 25 नवंबर 2012 से 15 दिसम्बर 2012 तक की जाने वाली गतिविधियां निम्नानुसार है :–

क्र	दिनांक	गतिविधि
1	25.11.2012 से 26.11.2012	1. अभियान समन्वयक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जांच दल के साथ जिला स्तर पर चर्चा कर अभियान की रूपरेखा तैयार करना। 2. अभियान समन्वयक जांच दल के कार्यपालन यंत्री तथा सहायक यंत्री के साथ बैठक करके अभियान संचालन के संबंध में विस्तृत ब्यौरा देगें।
2	27.11.2012 से 15.12.2012	निर्धारित की गई दिनांकों को संबंधित जांच दलों द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यो का निरीक्षण।

4. जांच अभियान में नियुक्त किये जा रहे अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्रियों को उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी अभियान प्रारंभ दिनांक से 2 दिवस पूर्व कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बड़वानी के कार्यालय हेतु भारमुक्त करेंगे।
5. जांच अभियान में नियुक्त किए जा रहे अधिकारी दिनांक 24.11.2012 को कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बडवानी (नोडल अधिकारी) के कार्यालय में उपस्थिति देंगे। जांच कार्य की समाप्ति पर समन्वय अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् कार्यपालन यंत्री बडवानी (नोडल अधिकारी) द्वारा उन्हें भारमुक्त किया जावेगा।
6. अभियान में नियुक्त किये जा रहे सहायक यंत्रियों/उपयंत्रियों के अपरिहार्य कारणों से उपस्थित न हो पाने की स्थिति में उन्हें मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से लिखित/दूरभाष पर पूर्व अनुमति लेनी होगी। ऐसी स्थिति में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अन्य सहायक यंत्रियों/उपयंत्रियों को मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अभियान में नियुक्त किया जा सकेगा।
7. श्री पी.के. निगम, अधीक्षण यंत्री अन्य समन्वयकों से जांच की प्रगति की समीक्षा कर पाक्षिक प्रतिवेदन मुख्य अभियंता को प्रस्तुत करेंगे।
8. प्रथम निरीक्षण अभियान के पूर्ण होने के पश्चात् यही जांच दल बड़वानी जिले के शेष 03 विकास खण्ड के मनरेगा के कार्यो की जांच करेगें।

8.1 समन्वयक, जांच दल के सदस्यों का मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से परामर्श कर परस्पर नाम परिवर्तन कर सकेगें।

उपरोक्त जांच दलों द्वारा पंचायत व मनरेगा के कार्यो की जांच का बिन्दुवार प्रतिवेदन निष्कर्षो सहित समन्वयक तथा सहायक समन्वयक द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

19/11/12

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

पृ.क./10663/ एमजीएनआरईजीएस–एमपी/तक/एनआर–3/12 भोपाल, दि.19/11/2012

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, नर्मदा भवन भोपाल।
2. आयुक्त समस्त संभाग म.प्र. ।
3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल ।
4. समस्त कलेक्टर म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, म.प्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संबंधित अधिकारी/सहायक यंत्री/उपयंत्री श्री.. स्थान..........................जिला................................म.प्र की ओर पालनार्थ।

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)